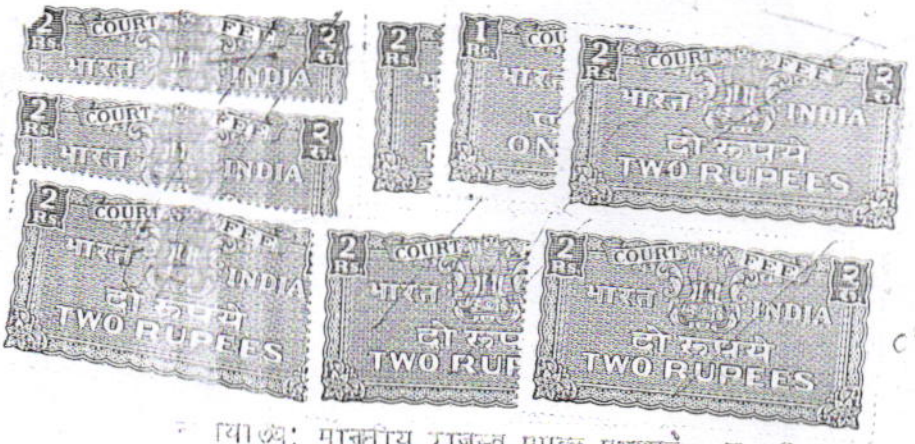

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२००८ पुनरीक्षण.

R 1596-II/08

हल्कीलाल पुत्र उन्नी (सुन्नी) बसोर,
निवासी सरकनपुर ऊगढ़, तहसील बल्देवगढ़,
जिला टीकमगढ़   ---- आवेदक

विरुद्ध

बाबूलाल पुत्र श्री सुन्नी, बसोर
निवासी सरकनपुर ऊगढ़, तहसील बल्देवगढ़,
जिला टीकमगढ़

---- अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक ३०-८-२००८ पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्तकमिश्नर सागर संभाग सागर, राजस्व प्रकरण क्रमांक ७६३ अ-६ वर्ष २००६-०७ वउनवान हल्कीलाल बनाम बाबूलाल

8-12-08

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकारप्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ)   यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ३४८, ३५० रकबा १-३३५, १-२.. हे० स्थित ग्राम सरकनपुर ऊगढ़ राजस्व मण्डल खरगापुर, तहसील बल्देवगढ़ पर आवेदक एवं अनावेदक के पिता सुन्नी बसोर .... से अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर काबिज होकर कृषि कर रहे थे उक्त विवादित भूमि पर सभी परिवार के लोग कृषि हेतु अधिक श्रम एवं धन खर्च करके काफी कृषि योग्य उन्नत बनाया। पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि पर आवेदक एवं अनावेदक काबिज होकर अपने शामलाती परिवार का भरण पोषण करते है। ~~.....~~ आवेदक की जानकारी के बिना अनावेदक द्वारा

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1596–II/2008 जिला – टीकमगढ़

छक्कीलाल विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–5–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक बाबूलाल स्वयं उपस्थित। 2/ अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि अपर आयुक्त सागर के जिस प्रकरण कमांक 763/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2008 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसके विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मण्डल में एक अन्य निगरानी प्रकरण कमांक 4150–एक/16 दायर की थी जिसमें दिनांक 08–2–17 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में रिव्यू प्रकरण कमांक 760–एक/17 लंबित है। अतः यह निगरानी निरस्त की जाये। 3/ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में इस निगरानी प्रकरण एवं रिव्यू प्रकरण का अवलोकन किया। रिव्यू प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के इसी प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध एक अन्य निगरानी दायर की थी जो आदेश दिनांक 08–2–17 को निराकृत हो चुकी है। अतः अब इस निगरानी को संचालित रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 01/5/19	